इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2014—माघ 22, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्र. 947-47-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 फरवरी 2014 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ५ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक ११ फरवरी, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ११ फरवरी, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम,१९६७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, १९६७ (क्रमांक १६ सन् १९६७) की अनुसूची में,—

(एक) मद ९८ में, शब्द "अध्यक्ष" के पश्चात्, शब्द "और उपाध्यक्ष" अंत:स्थापित किए जाएं;

(दो) मद ९८ के पश्चात्, निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"९९. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१००. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०१. मध्यप्रदेश मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०२. मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष;

१०३. भोपाल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.".

निरसन और व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ४ सन् २०१३) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2014

क्र. 948-47-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 OF 2014

THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 11th February, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th February, 2014.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967),—

(i) in item 98, after the word "Chairman", the words "and Vice-Chairman" shall be inserted;

(ii) after item 98, the following items shall be added, namely :—

"99. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh State Mining Corporation;

100. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam;

101. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Mela Pradhikaran;

102. The Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit;

103. The Chairman and Vice-Chairman of the Bhopal Development Authority.".

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2013 (No. 4 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.